कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), रायपुर
संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

क्रमांक/क/खाद्य/स्था/सीधी भर्ती/2015/ **रायपुर, दिनांक 18/03/2015**

संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग संचालनालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक 369/स्था–संचा/1/2015 दिनांक 19.01.2015 द्वारा दिनांक **01.03.2015 से 28.02.2016** तक अवधि के लिए खाद्य शाखा जिला कार्यालय रायपुर हेतु डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) एक पद स्पीकृति के परिपेक्ष्य में स्थानीय निवासियों से संविदा नियुक्ति से भरने हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यथियों से दिनांक 31 मार्च 2015 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। पद हेतु देय वेतन एवं शैक्षणिक योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रं.	विभाग का नाम	पद का नाम	पद की संख्या	वेतन	वांछित शैक्षाणिक योग्यता
01	कलेक्टर खाद्य शाखा, रायपुर	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	01 (एक)	10670	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। **अथवा** कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। 2. डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।

<u>आयु सीमा :–</u>

आवेदक की आयु 01.01.2015 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा महिलाओं को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशो के अनुरुप आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।

<u>चयन प्रक्रिया :–</u>

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर प्रथमतः अनुभव को वरीयता देते हुये वांछित शैक्षाणिक अर्हता डिग्री को समतुल्य मानकर मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा। अंकसूची के आधार पर प्राप्तांको से 70 अंक तथा शासकीय निगम/मंडल/बोर्ड/आयोग विभाग के अनुभव के आधार पर 01 वर्ष के अनुभव हेतु 05 अंक, 02 वर्ष हेतु 10 अंक तथा 03 वर्ष या अधिक के लिए 15 अंक दिया जावेगा एवं कौशल परीक्षा हेतु 15 अंक निर्धारित किया गया है।

<u>कम्प्यूटर संबंधी अर्हता :–</u>

निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा जारी कम्प्यूटर विषय में परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को मान्य किया जावेगा :–

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साइंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/मॉर्डन आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)।

2. वैधानिक रुप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड युनिवर्सिटी/मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत कम्प्यूटर साइंस/ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पी.डी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।

3. DOEACC Society' New Delhi द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

4. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में प्रदत्त एक वर्षीय सर्टिफिकेट।

<u>पात्रता की शर्ते :–</u>

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन जमा कर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
3. पद के लिए निर्धारित की गई शैक्षाणिक योग्यता की पूर्ति करना आवश्यक है। आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रेषित करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।
4. आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
5. लिफाफे के उपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है को स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा सहित पॉच रुपए के पोस्टल टिकिट चस्पा कर संलग्न करें।
6. आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ दिए गए नमूने के अनुसार बंद लिफाफे में कलेक्टर (खाद्य शाखा), कक्ष क्रमांक 18 रायपुर के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक 31 मार्च 2015 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाने चाहिए। दिनांक 31 मार्च 2015 के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। लिफाफे के उपर विज्ञापित पद का नाम स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जावे।
7. वांछित शैक्षाणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल की अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
9. पदो की नियुक्ति संविदा आधार पर कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) रायपुर के लिए होगी। संविदा नियुक्ति अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

कलेक्टर (खाद्य शाखा), रायपुर